

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक : 1927/14-1,

एटा: दिनांक: 25/03, 2022

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल)
प्लॉट-1, डी, रोड नं०- 26,
इंडस्ट्रियल एलियास, साइड-बी,
पोस्ट ऑफिस रोड, मथुरा रिफाइनरी,
मथुरा- 281005

विषय: जनपद-एटा के अन्तर्गत जलेसर रेंज में ग्राम- जलेसर बाहर चुंगी खसरा संख्या- 1378स तहसील- जलेसर जिला-एटा पर न्यू रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० मथुरा द्वारा सादाबाद- जलेसर रोड (एस०एच०- 122 न्यू) कि०मी० 70 (चैनैज 69.411) पर स्थित 0.048679 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव सं०- (FP/UP/Others/142891/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०६/०३/2022/एफ०सी०/716 दि० 04.02. 2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 11सी-2303/FP/UP/Others/142891/2021 दिनांक 07.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भित ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा 1 से 16 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, दी गई शर्तों के क्रम में आपसे निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:-

1. शर्त सं० 1 के अनुपालन में वन भूमि के वैधानिक स्थिति के परिवर्तन नहीं किये जाने का वचनवद्धता प्रमाण पत्र।
2. शर्त सं० 2 के अनुपालन में संशोधित 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण (संशोधित) हेतु मु० 131420/- (एक लाख इक्कीस हजार चार सौ बीस मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से जनरेट ई-चालान के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें।
3. शर्त सं० 4 के अनुपालन में विषयांकित प्रस्ताव से सम्बन्धित एन०पी०वी० की धनराशि मु० 46624.00 (छियालीस हजार छः सौ चौबीस मात्र) मात्र की धनराशि ई-पोर्टल जनरेट ई चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।
4. शर्त सं० 5 के अनुपालन में एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा किये जाने की वचनवद्धता।
5. शर्त सं० 8 के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र पाँच प्रतियों में।
6. शर्त सं० 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पम्प के चारों ओर हरियाली बनाये रखने सम्बन्धी वचनवद्धता।
7. शर्त सं० 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निकास व प्रवेश मार्ग के मध्य भाग में वृक्षारोपण व देखरेख की जायेगी तथा वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 2 फीट ऊँची दीवार बनाये जाने सम्बन्धी वचनवद्धता।



8. शर्त सं० 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पम्प की बाण्डली के अन्दर वृक्षारोपण किये जाने की वचनबद्धता।
9. शर्त सं० 14 के अनुपालन हेतु हस्तान्तरित वनभूमि की सीमाओं का सीमांकन, परियोजना की धनराशि से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के दिशा-निर्देशन में किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता।
10. शर्त सं० 15 के अनुपालन हेतु Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of user agency or the project life, whichever is less सम्बन्धी वचनबद्धता।
11. शर्त सं० 17 के अनुपालन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले वृक्षारोपण संरक्षण विकास व वन्य जीव के सम्बन्ध में दिये निर्देश के पालन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता।
12. शर्त सं० 18 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त धनराशि कैम्पा फन्ड में ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की जाये।

उपरोक्त शर्तों का पालन/वचनबद्धता व ई-चालान की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करें। उक्त समस्त शर्तों के सम्बन्ध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति ही अन्तिम मानी जायेगी।

भवदीय,

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक / 14-1 समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28.03.2008 तथा 9.5.2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में भारत पेट्रोलियम ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा मथुरा-सादाबाद-जलेसर रोड (एस०एच०-122 न्यू) कि०मी० 70 (चैनेज- 69.411) खसरा संख्या- 1378 स ग्राम- जलेसर बाहर चुंगी, तहसील- जलेसर, जिला एटा पर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु एटा वन प्रभाग की 0.048679 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में प्रभावित 0.048679 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि की एन. पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है :-

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल है० में	ईको क्लास	धनत्व	प्रति है० वैल्यू रु० में	कुल वैल्यू रु० में
मथुरा-सादाबाद-जलेसर रोड (एस०एच०-122 न्यू) कि०मी० 70 (चैनेज-69.411) खसरा संख्या-1378 स ग्राम- जलेसर बाहर चुंगी, तहसील- जलेसर, जिला एटा	संरक्षित वन	0.048679	III	0	9,57,780	46623.77 अथवा 46624.00
योग :-						46624.00
रु० छियालीस हजार छः सौ चौबीस मात्र						

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।